रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938
No. 984] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 1497(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 6 जनवरी, 2011 क्षेत्र विनियमन अधिसूचना, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उक्त प्रारूप अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध कोई व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के विचार के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पते bnsinha@gov.in पर भेज सकेंगे ।

प्रारूप अधिसूचना

तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना, 2011 में,–

(क) पैरा 4 के उपपैरा 4.2 में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(iv) यदि तटीय क्षेत्र विनियमन प्राधिकरण उसके पुनर्गठन या किन्ही अन्य कारणों से प्रवर्त में नहीं हैं तो उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यावरण विभाग की, जो क्रमश: राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के तटीय जोन प्रबंध योजनाओं के अभिरक्षक हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के निबंधनानुसार प्रस्तावों पर टिप्पणियां उपलब्ध कराने और उनकी सिफारिश करने की जिम्मेदारी होगी।";

(ख) पैरा 4 के उपपैरा 4.2 के खंड (iv) के पश्चात् खंड (vi), खंड (v), और खंड (vi) के रूप में संख्यांकित खंडों को क्रमश: खंड (v), खंड (vi) और खंड (vii) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ।

(ग) पैरा 8 के उपपैरा (v) में,--

(i) ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले सीआरजेड क्षेत्रों से संबंधित खंड 1 के उपखंड (i) में मद (आ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"ई. नगर पालिका क्षेत्र से मल उपचार के प्रयोजन के लिए सीआरजेड-1 में मल उपचार संयंत्र का संनिर्माण, जहां ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है वहां संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकारी की सिफारिशों और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए केवल अपवादित परिस्थितियों में नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा । संनिर्माण प्रक्रिया के दौरान तिगुने क्षेत्र में काटे गए या नष्ट किए गए मैंग्रोव को रोपित किया जाएगा";

(ii) गोवा के सीआरजेड से संबंधित खंड 3 में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(iiiक) जून से अगस्त मास के दौरान ऐसी संरचना को हटाया और खोला नहीं जाएगा:

परंतु इन संरचनाओं में उपलब्ध सुविधाएं जून से अगस्त मास के दौरान परिचालन में नहीं रहेगी।";

(घ) सीआरजेड-1(क) के सिवाय सीआरजेड में भंडारण के लिए अनुज्ञेय पैट्रोलियम व रसायन उत्पादों की सूची से संबंधित उपाबंध-2 में मद (xv) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी:--

"(xvi) ऐसीटिक अम्ल;

(xvii) मोनो एथलीन ग्लाइकोल"।

[फा.सं.19-27/2015-आईए.III]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ.संख्यांक 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :--

1. का.आ. 2557(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ. 1244(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085(अ) तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383(अ) तारीख 4 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556(अ) तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938(अ) तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599(अ) तारीख 16 जून, 2015;
8. का.आ. 3552(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2015 ; और
9. का.आ. 1212(अ) तारीख 22 मार्च, 2016 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 1497(E).—The following draft of the notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, further to amend the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 (hereinafter referred to as the said notification) of the Government of India, in the erstwhile, Ministry of Environment and Forests, dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003 or electronically at email address: bnsinha@gov.in.

Draft Notification

In the Coastal Zone Regulation Notification, 2011,-

(a) in paragraph 4, in sub-paragraph 4.2, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) In case the CZMAs are not in operation due to their reconstitution or any other reasons, then it shall be the responsibility of the Department of Environment in the State Government or Union Territory Administrations, who are the custodian of the Coastal Zone Management Plans of respective States or Union Territories to provide comments and recommend the proposals in terms of the provisions of the said notification to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.";

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph 4.2, after clause (iv), the clauses numbered as (vi), (v) and (vi) shall be renumbered as (v), (vi) and (vii) respectively.

(c) in paragraph 8, in sub-paragraph (V),

(i) in clause 1 relating to CRZ areas falling within municipal limits of the Greater Mumbai, in sub-clause (i), after item (B), following shall be inserted, namely:-

"C. The construction of sewage treatment plants in CRZ-I for the purpose of treating sewage from the municipal area shall be taken only by the municipal authorities in exceptional circumstances, where no alternate site is available to set up such facilities, subject to recommendations of the concerned CZMA and approval by the Central Government. Three times the number of mangroves destroyed or cut during construction process shall be replanted";

(ii) in clause 3 relating to CRZ of Goa, after item (iii), the following shall be inserted, namely:-

"(iiia) Such structures shall not be removed and dismantled during the month of June to August:

Provided that the facilities provided in these structures shall remain non-operational during the month of June to August.";

(d) in Annexure-II relating to the list of petroleum and chemical products permitted for storage in CRZ expect CRZ-1 (A), after item (xv), the following item shall be inserted, namely:-

"(xvi) Acetic Acid;

(xvii) Mono Ethylene Glycol".

[F. No. 19-27/2015-IA.III]
BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O.19 (E) dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938 (E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599 (E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552 (E), dated the 30th December, 2015; and
9. S. O. 1212 (E), dated the 22nd March, 2016

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.